कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1314066 दिनांक 17-10-2013

पत्र सं0-विधि-2(1)-आयरन स्टील अग्रिम जमानत-2013-14/ 1056 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक 14 अक्टूबर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र सं0-सचल दल -विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14 / 1584 / वाणिज्य कर दिनांक 4-10-2013 द्वारा प्रान्त बाहर से प्रान्त में आयात किए जाने वाले माल के संबंध में "**ई- संचरण** " की व्यवस्था 25 श्रेणी की वस्तुओं के लिए लागू की गयी है । इन वस्तुओं में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 में परिभाषित आयरन एण्ड स्टील भी समाहित है ।

2- ज्ञातव्य है कि मुख्यालय के पत्र सं0206/(12-13)-627/1213040/वाणिज्य कर दिनांक 24.07.2012 द्वारा आयरन एण्ड स्टील के ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा विभाग में नया पंजीयन लिया जाता है ,उन्हें पंजीयन के वर्ष से अनुवर्ती 5 वित्तीय वर्षों के लिए फार्म-38 प्राप्त करने हेतु नकद जमानत जमा किए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे । "**ई-संचरण** " की उक्त व्यवस्था दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 से आरम्भ की जा रही है । इस तिथि से आयरन एण्ड स्टील के आयात हेतु नकद जमानत की पूर्व प्रचलित उपर्युक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए "**ई-संचरण** " की नई व्यवस्था में आयरन एण्ड स्टील का आयात करने वाले व्यापारियों को बिना नकद जमानत जमा किए ही आयरन एण्ड स्टील का आयात "**विशिष्ट संचरण नम्बर**" जेनरेट करते हुए करने की सुविधा एतद्द्वारा अनुमन्य की जाती है ।

उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश